भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 30 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2022

विषयः एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): जबकि गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा की वैश्विक कीमतों में कई कारकों से उत्पन्न स्थिति से अचानक वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरुप भारत, पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा, जोखिम में है;

जबकि, भारत सरकार भारत, पड़ोसी तथा अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है जो गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा के वैश्विक बाजार में अचानक आए परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और गेहूं की आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा तक पहुंचने में असमर्थ हैं;

इसलिए, देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी तथा अन्य कमजोर देशों की जरूरतों में सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), अनुसूची–II, 2018 के एचएस कोड 1101 अध्याय 11 की क्रम संख्या 64 के तहत मदों की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
64	1101	गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा	मुक्त। हालांकि, सभी मदों का निर्यात गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के लिए गठित अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की संस्तुति के अधीन है। आईएमसी द्वारा अनुमोदित सभी शिपमेंट के निर्यात की अनुमति निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) या दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में इसके ईआईए द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।	निषिद्ध

सं. सारंगी
27.8.2022

2. परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। तथापि, उपर्युक्त मदों का निर्यात अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर अनुमत होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

एसएच कोड 1101 के अंतर्गत मदों [गेहूं या मेसलिन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा] की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' की जाती है। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। तथापि, उपर्युक्त मदों का निर्यात उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार कतिपय मामलों में भारत सरकार की अनुमति के अधीन अनुमत होगा।

संतोष कुमार सारंगी
27.8.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/012/एएम–23/ईसी/ई–32030 से जारी)